म	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन पत्र संख्या 330/2019 अनवान फगलूराम बनाम धर्मा वगैराह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय जाखड़ों का तला पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 08.10.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, जाखड़ों की ढ़ाणी राजीव गांधी सेवा केन्द्र जाखड़ों की ढ़ाणी पर पत्रावली पेश हो। (रोहित चौहान) उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर	
08.10.2021	पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय जाखड़ों की ढ़ाणी राजीव गांधी सेवा केन्द्र जाखड़ों की ढ़ाणी पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा 1 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थी के खेत खसरा नं. 838/342 रकबा 109.03 बीघा ग्राम जाखड़ो की ढ़ाणी पटवार मण्डल जाखड़ों की ढ़ाणी में सुखाचार हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 343 में से नया रास्ता खोलने एवं राजस्व अभिलेख में रास्ता अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया। आवेदन पंजीयन कर उत्तरदातागण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार, बाड़मेर से मौका प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार, बाड़मेर ने अपने प्रतिवेदन में अंकित किया है कि प्रार्थी का खेत खसरा नंबर 838/342 में सहखातेदार है। प्रार्थी द्वारा पड़ौसी खसरा नंबर 343 में से नया रास्ता चाहा गया है जबकि प्रार्थी स्वयं का खेत खसरा नंबर 838/342 कटाण मार्ग के खसरा नंबर 340 से पूरा–पूरा जुड़ा हुआ है जो NH-68 से आने–जाने वाली डामर सड़क से जुड़ा हुआ हैं। अतः कटाण रास्ते से जुड़े होने का विकल्प मौजूद होने से प्रार्थी का आवेदन काबिल खारिज है। प्रार्थी को मौके के अनुसार आवागमन हेतु कटाण रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में आवेदित भूमि में से रास्ता सुखाचार हेतु दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः तहसीलदार, बाड़मेर के प्रतिवेदन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन निराधार होने से निरस्त किया जाता है। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। (रोहित चौहान) उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर	